(109)

माननीय न्यायालय अध्यक्ष महोदय रेवेन्यू बोर्ड म0प्र0 ग्वालियर, एट0 रीवा

R 5081-II/17

Rs-30/-

1— जहूर वल्द स्व0 नूर मोहम्मद मुसलमान उम्र 65 वर्ष पेशा कास्तकारी साकिन— ग्राम कोलगांव सर्किल सिंहपुर, तहसील नगौद जिला सतना म0प्र0

2— शेख मोहम्मद वल्द नूर मोहम्मद, उम्र 59 वर्ष पेशा कास्तकारी निवासी ग्राम कोलगांव, तहसील नगौद, हाल मुकाम— मैहर जिला सतना म0प्र0।

3— हफीज मोहम्मद वल्द नूर मोहम्मद मुसलमान उम्र 55 वर्ष पेशा कास्तकारी साकिन— ग्राम कोलगांव सर्किल सिंहपुर, तहसील नगौद जिला सतना म0प्र0 .... निगराकारगण ।

बनाम

1— बफातन पुत्री नूर मोहम्मद व पत्नी शेख मोहम्मद निवासी मैहर, पुरानी बस्ती खटोलन टोला, मैहर जिला सतना म0प्र0 .... गैर निगरा कार ।

निगरानी बिरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय नगौद तहसील नगौद जिला सतना म0प्र0 के राजस्व आपील प्र0क0 105/आपील/11—12 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2016 की निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू0रा0ज0सं0 म0प्र0 ।

मान्यवर,

निगराकारगण निगरानी पत्र प्रस्तुत कर निम्न अनुसार विनयी है —

1— यह कि अधीनस्त न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय नगौद तह0 नगौद जिला सतना म0प्र0 द्वारा आदेश दिनांक 27.12.2016 को हुआ था जिसकी जानकारी दिनांक 28.12.2016 को अभिभाषक को दी गई थी नकल हेतु आवेदन पत्र दिनांक 17.01.2017 को दी गई थी तथा नकल दिनांक 30.01.2017 को प्राप्त हुई थी जिसकी निगरानी आज दिनांक को श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। निगरानी अन्दर अवधि है तथा श्रीमान के श्रवण क्षेत्रा अधिकार की है।

2— यह कि निगराकारगण आपस में चार भाई — 1. करीमबक्ख्श (फौत) 2. जहूर मोहम्मद 3. शेख मोहम्मद 4. हफीज मोहम्मद (सभी जीवित) तथा 5. बफातन (बहन) तथा पिता नूर मोहम्मद व मॉ का देहान्त अर्सा पूर्व हो गया था । पिता ने अपने जीवन काल में ही अपने बड़े पुत्र करीमवक्ख्श को जरिये रजिस्ट्री से फर्द बंटवारा अपने व पुत्र के बीच करीम के बीच दिनांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5081–दो/2017 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी नगौद तहसील नगौद्र जिला सतना के प्रकरण कमांक 105/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 27–12–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रश्नाधीन अंतिम आदेश के द्वारा खाता विभाजन के आदेश दिये हैं जिसके विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(2) के अन्तर्गत द्वितीय अपील का प्रावधान है। आवेदक चाहे तो अपील करने के लिए स्वंतत्र है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी ग्राह्यत के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	